

संतुलन स्थापित करना : ऋण का प्रसार एवं एनपीए प्रबंधन - आपस में सूचनाएँ बांटने संबंधी भूमिका *

आनन्द सिन्हा

क्रेडिट इन्फॉरमेशन ब्यूगो (भारत) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) के अध्यक्ष तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी श्री नायर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएमडी श्री मल्या, ट्रांस यूनियन के प्रेसिडेंट तथा सी ई ओ श्री सिद्धार्थ मेहता, सीबिल के प्रबंध निदेशक श्री ठकराल तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगण। चौथे वार्षिक क्रेडिट सूचना सम्मेलन में आप सब के समक्ष बोलते हुए मैं बड़े सम्मान का अनुभव कर रहा हूँ।

2. बैंकिंग एक जोखिम वाला कारोबार है बैंक अथवा और सामान्यतः कहें तो ऋण संस्थाएँ, ऋणदाताओं (राशि जमाकर्ताओं) तथा उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थता करते समय मध्यस्थ की अपनी भूमिका में काफी बड़े ऋण जोखिम अपने ऊपर ले लेते हैं। क्रेडिट जोखिम अब तक बैंकों द्वारा लिया जाने वाला सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम रूपांतरण जिसमें कि वे ऋणदाताओं के उधारकर्ता बन जाते हैं, और उधारकर्ताओं के लिए ऋणदाता बन जाते हैं, से ऋण संस्थाओं में जोखिमों का भण्डार लग जाता है। वस्तुतः क्रेडिट मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत यह जोखिम रूपांतरण क्रेडिट मध्यस्थता की आधारशिला है जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों हेतु दिए जाने के लिए बचतों की पूलिंग को सुगम बनाती है।

3. ऋण बाजारों में ऋणदाता का यह ज्ञान कि उधारकर्ता ऋण चुका पाएगा या नहीं (जोखिम प्रोफाइल), अधूरा होता है और उपलब्ध सूचना के आधार पर ही अनुमानित किया जाना होता है। उधारकर्ताओं को अपने भूतपूर्व कार्यों तथा भावी आशयों के बारे में जानकारी, ऋणदाताओं के मुकाबले, निश्चय ही अधिक होती है जबकि ऋणदाता ही जोखिम के नकारात्मक परिणामों का दंड भुगतता है। इसके अतिरिक्त उधारकर्ताओं को अपनी जोखिम प्रोफाइल की गलत बयानी का फायदा भी मिलता है। किसी भी हालत में ऋणदाता को आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही एकमात्र रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि यदि उधारकर्ता सच भी बोल

* मुंबई में 7 मार्च 2012 को आयोजित चौथे वार्षिक क्रेडिट सूचना सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा द्वारा दिया गया अभिभाषण। श्री मनोज शर्मा, श्रीमती रचना दीक्षित तथा श्रीमती जयन्ती एन द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है।

रहा है तो भी उसके दावों का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। इसमें काफी समय और लागत लगती है। इस प्रकार की सूचना की विषमता से उधार देने के दुष्परिणाम निकल सकते हैं क्योंकि इसका नतीजा ऋण का दुर्निर्धारण होता है, आइए मैं इसे स्पष्ट करता हूँ।

4. ऋण सूचना के मॉडलों के आविर्भाव से पूर्व, पारंपरिक नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्र की परिकल्पना थी कि बाजार “सूचना की दृष्टि” से सक्षम है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई भी जोखिम समायोजित आधार पर औसत बाजार प्रतिफलों से अधिक प्रतिफल, निरंतर प्राप्त नहीं कर सकता। स्टिगलिट्स तथा अन्यों द्वारा हाल ही में किए गए शोध ने दर्शाया है कि केवल अपवादात्मक स्थितियों में ही बाजार परफैक्ट होते हैं और प्रतियोगितात्मक संतुलन के अंतर्गत भी क्रेडिट बाजार अपर्याप्त सूचना अर्थात् सूचना विषमता के कारण अंततः क्रेडिट राशनिंग देख सकते हैं। जब ऋणदाता उधारकर्ताओं की जोखिम प्रोफाइल का पर्याप्त रूप से आकलन नहीं कर पाते हैं, तो वे अच्छे जोखिम को बुरा समझ लेते हैं तथा बुरे जोखिम को अच्छा समझ लेते हैं। ऋणकर्ताओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी मिलने पर आम तौर पर ऋणदाता, ब्याजदरें बढ़ा देते हैं। चूँकि क्रेडिट अब कम जोखिम वाले उधार कर्ताओं के लिए महंगा हो गया है इसलिए उन्हें मार्केट से बाहर कर दिया जाता है जबकि उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं को क्रेडिट सस्ता लगता है इसलिए उन्हें बाजार के अंदर ले लिया जाता है। इसलिए पोर्टफोलियो जोखिम भरा हो जाता है और बढ़ी हुई ब्याजदरें इसकी गवाही देती हैं। उच्च ब्याज दरें अच्छे जोखिमों के लिए भी प्रेरणा होती हैं कि वे जोखिम भरी परियोजनाएँ हाथ में लें ताकि उन्हें उच्च प्रतिफल मिल सके जिससे कि वे ऋण की ऊँची लागत की भरपाई कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ उधारकर्ताओं में ऋण न चुकाने का भी इन्सेटिव होता है क्योंकि सूचना को आपस में बाँटे बगैर वे अभी भी अन्य ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चारित्रिक खतरे (चुकाती न करने पर दंड का अभाव) तथा प्रतिकूल चयन (अर्थात् उच्च ब्याज दरें जोखिम लेने वाले उधारकर्ताओं को आकर्षित करती हैं अथवा उधारकर्ताओं को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती हैं) की समस्याओं के कारण, ऋणदाता ऋण की राशनिंग करते हैं। अर्थात् अगर दो लोगों की एक जैसी जोखिम

प्रोफाइल हो तो एक को ऋण मिलेगा और दूसरे को ऋण नहीं मिलेगा।

5. क्रेडिट ब्यूरो / क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी), जो कि ऋणदाताओं में ऋण सूचनाएँ बांटने के कार्य को समर्थ बनाती हैं वे ऐसी संस्थागत व्यवस्था होती हैं, जो सूचना विषमता के कारण हुए चारित्रिक खतरे तथा प्रतिकूल चयन जैसी समस्याओं का निपटान करती हैं। सूचनाएँ आपस में बांटने से संभावित उधारकर्ताओं की जोखिम प्रोफाइलों का बेहतर रूप से आकलन होता है (अर्थात् प्रतिकूल चयन की समस्या का निपटारा) तथा अन्य ऋणदाताओं से ऋण लेने की उधारकर्ताओं की योग्यता को सीमित करके उधारकर्ताओं को समय पर ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करना (अर्थात् चारित्रिक खतरों से निपटना)।

6. अतः क्रेडिट सूचना ब्यूरो सूचना विषमता संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए अस्तित्व में आया और उन्नीसवीं सदी के मध्य में पहली क्रेडिट रजिस्ट्री ने अपरीका में कार्य करना शुरू किया जिससे इसका इतिहास काफी लम्बा हो चुका है।

7. सीआईसी विषम सूचना से जुड़ी समस्याओं को निम्न रीतियों से निपटाती है:

i. जिन सुरक्षित ऋणकर्ताओं (बोरोअर्स) को पहले कीमतों की अधिकता के कारण बाज़ार से बाहर होना पड़ा था, उन्हें ऋण दिलवा कर 'प्रतिकूल चयन' को कम करना और परिणामस्वरूप क्रेडिट की कुल मात्रा में बढ़ोतरी करना

क्रेडिट बाज़ारों पर सीआईसी के प्रभाव का विश्लेषण करने वाले अध्ययनों में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बैंक क्रेडिट की मात्रा पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है और क्रेडिट जोखिम में कमी पाई गई है। यह भी पाया गया कि उन देशों में जहां ऋण सूचना प्रणालियाँ बेहतर थीं वहां ऋण की रु कावट भी कम थी।

ii. उधारकर्ताओं को ऋण चुकौती के लिए प्रेरित करने अथवा उधारकर्ताओं की छूक की लागत को बढ़ाने, (क्योंकि एक संस्था के प्रति छूक करने से अन्य सभी संस्थाएँ ऋण नहीं देंगी), के द्वारा चारित्रिक खतरों को कम करना; इससे कर्ज़ छुकौतियाँ तथा अधिक सक्षम ऋण पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन मिलेगा

एक अध्ययन ने दर्शाया है कि सीआईसी के बिना उधारकर्ताओं में ऋण चुकाने की प्रवृत्ति तभी होती है जब वे ऋणदाता के

साथ अपने वर्तमान संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं परन्तु जिन अर्थव्यवस्थाओं में सीआईसी होती है वहाँ उधारकर्ताओं द्वारा अपने ऋणों की चुकौतियों के अधिक अवसर होते हैं, बिना इसका ख्रयाल रखे कि उन्हें अपने संबंध कायम रखने हैं अथवा नहीं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्रेडिट शेयरिंग संस्थाएं, ऋणकर्ताओं के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करके, निश्चय ही उनकी ऋण चुकौती को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

iii. सूचना एकाधिकार को कम करना जिससे उधारकर्ता की ब्याज लागतें कम होंगी

जिन ऋणदाताओं का अपने उधारकर्ताओं के साथ लंबा व्यवहार होता है उन्हें उनका ऋण-इतिहास पता होता है जबकि दूसरों को नहीं होता। इससे ऋणदाता उच्च गुणवत्तावाले उधारकर्ताओं पर ज्यादा ब्याज दरें लगाते हैं और अन्य रेन्ट्स भी वसूल कर लेते हैं। ऋण संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान से वह एकाधिकार कम हो जाता है जो एक ऋणदाता अपने उधारकर्ताओं पर रखता है। इससे ऋणदाताओं द्वारा अपने उधारकर्ताओं से प्रभारित किए जाने वाले अतिरिक्त रैट्स में कमी आती है। इसके अतिरिक्त सीआईसी से क्रेडिट संस्थाएँ, अधिक जोखिम वाले उधारकर्ताओं की छँटनी कर सकती हैं और उनके जोखिम प्रोफाइल से जोड़कर अधिक ब्याज प्रभारित कर सकती हैं, इस प्रकार वे कम जोखिम वाले उन उधारकर्ताओं से कम दरें प्रभारित करती हैं, जो अन्यथा उधार नहीं पा सकते थे। इस प्रकार उधारकर्ता को लगने वाली औसत ब्याज लागत, कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रोसेसिंग की लागतें घटाने तथा ऋण आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करके, ऋणकर्ताओं की क्षमता में सुधार लाने के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। ब्याज दरों की तरह इन सभी का मूल्यन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

iv. अतिकर्जदारी को घटाना क्योंकि अब उधारकर्ता कम क्रेडिट प्राप्त करेंगे

ऋणदाताओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान से सभी ऋणदाताओं को उधारकर्ताओं के कर्ज स्तर का पता चल जाता है; इसके परिणामस्वरूप “अधिक-कर्जदार-उधारकर्ताओं” को कम क्रेडिट प्राप्त होती है जिससे कुल कर्जदारी कम होती है।

हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि सीआईसी की स्थापना के पश्चात् ऋणदाताओं द्वारा, छोटे और अल्पावधि के ऋणों को जारी करने की संभावना होती है तथा अधिक गारंटियों की अपेक्षा होती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की गवाही देता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान से ऋणदाताओं को अपने उधारकर्ताओं की ऋणग्रस्तता को देखने तथा उसके फैक्टर में मदद मिली।

v. गरीबी घटाना तथा आय के वितरण में सुधार लाना

कमज़ोर ऋण सूचना की स्थिति में, क्रेडिट आबंटन में आने वाली रुकावटें, निर्धनों को अपेक्षाकृत अधिक चोट पहुँचाएँगी और असमानता बढ़ाएँगी, ऋण संबंधी रुकावटों को कम करने के द्वारा क्रेडिट रिपोर्टिंग से अपेक्षा की जाती है कि वह गरीबों को ऋण दिलाने में सुविधा दिलवाएँगी तथा गरीबी को कम करने में मदद करेगी।

साक्ष्य बताते हैं कि क्रेडिट के आदान-प्रदान ने अमरीका में छोटे कारोबार ऋणों की मात्रा में वृद्धि की और इससे भी अधिक उन सीमांत उधारकर्ताओं अर्थात् फर्मों को अधिक ऋण दिलवाया जिन्हें कि ऋण जानकारी आदान-प्रदान तंत्र की अनुपस्थिति में संभवतः कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होता। इसका तर्क यह है कि ये सीमांत उधारकर्ता ऋणदाताओं द्वारा उन पर लगाई गई सामान्य संपादिक अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं।

यह साक्ष्य हमारे वित्तीय समावेशन अभियान, जो कि एक प्रमुख नीतिगत पहल है, के लिए बहुत संगत है

8. सारांश यह है कि अन्तरराष्ट्रीय साक्ष्य बताते हैं कि सूचनाओं के आदान-प्रदान से ऋण तक पहुँच बढ़ती है। अध्ययनों ने यह भी दर्शाया है कि केवल नकारात्मक सूचनाओं के आदान-प्रदान से चूक दर बढ़ती है जबकि जिन प्रणालियों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है उनमें चूक दर कम होती है। सीआईसी, उधारकर्ताओं के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक, दोनों प्रकार की व्यापक सूचनाएँ स्टोर करने और शेयर करने का प्रयोजन पूरा करती है। इससे ऋणदाताओं को निम्न चूक दरों प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऐसी व्यवस्थाएँ जिनमें सख्त अँकड़ा सुरक्षा मानदंड होते हैं अर्थात् ऋण सूचना तक प्रतिबंधित पहुँच होती है, वहाँ ऋण आबंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋण तक पहुँच के परिवर्तनीय कारकों, खासकर एमएसएमई क्षेत्र तथा

ऋण वितरण में चूक दरों के संबंध में कुछ मॉडलों का प्रयोग करके, सूचना आदान-प्रदान के प्रभाव पर देसी अँकड़ों के आधार पर सम्युलेशन आयोजित करना, एक लाभकारी अभ्यास होगा।

9. ऋणदाताओं और वित्तीय बाजार सहभागियों के बीच ऋण सूचना का अभाव, वित्तीय और ऋण बाजारों तथा सामान्य अर्थव्यवस्था के सुगम कार्य-संचालन में नकारात्मक तथा कभी कभी गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।

10. हमारे देश में हमने बहु-उधार के कारण ऐसे कर्ज के स्तर देखे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में जहाँ कि कर्ज के स्तरों ने भारत के ग्रामीण परिवारों को भेद्य बना दिया है। यदि, सूचनाओं का आदान-प्रदान होता तो यह समस्या इतने अनुपात में नहीं बढ़ती। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में उभरती चिंताओं और मुद्दों के अध्ययन के लिए स्थापित रिजर्व बैंक के बोर्ड की उपसमिति (अध्यक्ष : श्री वाई.एच. मालेगम) की रिपोर्ट के अनुसार, ‘बहु-वितरण’ तथा ‘अति-उधार’ को रोकने के लिए, एक आवश्यक तत्व है, संभावित उधारकर्ता के वर्तमान बकाया ऋण की सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को जानकारी की उपलब्धता। उपसमिति के अनुसार एक ऋण सूचना ब्यूरो, स्थापित करने की शीघ्र आवश्यकता है और जहाँ एक से अधिक ब्यूरो भूमिका निभाते हैं वहाँ ब्यूरो में पर्याप्त तालमेत बिठाने की भी जरूरत होगी। भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीबिल) के अतिरिक्त तीन और सीआईसी की स्थापना से आशा की जाती है कि सूक्ष्म वित्त एक मजबूत तथा और अधिक टिकाऊ आधार पर कार्य कर पाएगा। कुछ सीआईसी पहले से ही इसी राह पर चल रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य सरकारों को भी वित्तीय शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, विशेषकर परिवारों की कर्ज निरंतरता के मुद्दे पर।

11. इसी प्रकार ऋण सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान न होने से बहु-बैंकिंग का जोखिम भी बढ़ा है जिसकी ओर हम कुछ समय पूर्व कन्सोर्टियम ऋण वितरण से बढ़े थे ताकि ऋणकर्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान कर ऋण वितरण प्रणाली में लोचनीयता शुरू की जा सके। सूचनाओं की विषमता का लाभ उठा कर कर्ज लेने वाले कई संदिग्ध लोगों ने, बहु-बैंकिंग व्यवस्था को मैनिप्यूलेट करके, बैंकों को काफी बड़ी रकम का चूना लगाया है और अभी हाल ही में ऋणदाता बैंकों के बीच सूचनाओं के अपर्याप्त आदान-प्रदान के कारण, कुछ उधारकर्ताओं ने, विदेशी व्युत्पन्नों में, ‘बहु-एक्सपोजर्स’ प्राप्त कर लिए और जब प्रतिकूल दरों के कारण उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा तो जोखिम कई गुना बढ़ गया इससे कई चूकें हुईं और विवाद खड़े हो गए। इन कमियों से निपटने के लिए ‘ऋणदाता-बैंकों’ के बीच ऋण

सूचना आदान-प्रदान की एक व्यापक प्रणाली विकसित की गई तथा तीन नई क्रेडिट सूचना कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए गए और अब ये स्थापित होने की प्रक्रिया में हैं।

12. सब-प्राइम संकट, अपार्यप्त ऋण सूचना (जोखिम प्रोफाइलिंग) पर आधारित अति-गंभीर परिणामों का एक सपष्ट उदाहरण है। उच्च जोखिम वाली ये सब-प्राइम परिसंपत्तियाँ एक जटिल तथा लम्बी शृंखला के मध्यस्थों के माध्यम से प्रतिभूत की गई थीं। निवेशकों ने अधिकांशतः रेटिंग पर भरोसा किया जबकि उन्हें यह पता होना चाहिए था कि निवेश करने से पहले रेटिंग सतर्कता रखने का कोई स्थानापन्न नहीं है। तथापि इसमें भी संदेह है कि मध्यस्थों की लम्बी शृंखला होती तथा शृंखला में सूचनाओं की क्रमिक हानि होने की स्थिति में, इच्छुक निवेशक क्या सार्थक निर्णय कर भी पाते ? इसके बाद जो अन्तर्बंक बाजारों की प्रीजिंग हुई और बैंकों ने लिक्विडिटी की होर्डिंग की, वह भी सूचना के अभाव के कारण ही हुआ। इससे बैंकों की “जहरीली-सब-प्राइम-परिसंपत्तियों” की धारिता, और काउंटर पार्टी बैंकों की वित्तीय स्थितियों, पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में, लोगों का भरोसा टूट गया।

II. भारतीय परिप्रेक्ष्य: भारत में ऋण सूचना पर्यावरण बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

ऋण सूचना कंपनियों (विनियमन) अधिनियम से पहले ऋण सूचना आदान-प्रदान के लिए व्यवस्थाएं

13. 28 फरवरी 1949 को संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उन उधार कर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने की एक योजना बनाई गई जिनकी बकाया कुल राशि 10 मिलियन तथा उससे अधिक थी और जिन्हें ‘संदिग्ध’ अथवा ‘क्षति’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था अथवा जिनके बारे में प्रतिवर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति में मुकदमे दायर किये गये थे। यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सतर्क करने के उद्देश्य से किया गया था और अन्य ऋण दाता संस्थाओं के प्रति चूक करने वालों के खिलाफ सुरक्षा रखने की दृष्टि से किया गया था। फरवरी 1999 में रिजर्व बैंक ने, 2.5 मिलियन रुपए तथा उससे अधिक के बकाया शेष कर्जदारों की इच्छुक चूक के मामलों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने तथा इस जानकारी का प्रसार करने की एक योजना शुरू की। यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये सूचियाँ नकारात्मक प्रकृति की हैं। इसमें संदेह नहीं कि

¹ इस समय उपर्युक्त सूचियों के लिए गैर-मुकदमा दायर खातों से संबंधित आँकड़े रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय प्रयोग के लिए दिए जाते हैं, जबकि मुकदमा दायर प्रकरणों से संबंधी सूचियाँ सार्वजनिक की जाती हैं और क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

ये सूचनाएँ बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को ऋण मंजूर करने से संबंधित निर्णय लेने में मदद देंगी। मगर सक्षम आंकड़ा आधार के जरिए, ऋणकर्ताओं के संबंध में, एक पर्याप्त व्यापक तथा भरोसेमंद सूचना प्रणाली बनाने की जरूरत, रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार, ऋण संस्थाओं तथा बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के अन्य सहभागियों ने महसूस की। भारत में एक क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो स्थापित करने की संभावनाएँ खोजने के लिए रिजर्व बैंक ने श्री एन.एच.सिद्धीकी की अध्यक्षता में एक कार्यदल² गठित किया। कार्यदल ने यह पाया कि वर्तमान विधिक ढाँचे में एक विश्वस्तरीय ऋणसूचना कंपनी स्थापित करना संभव नहीं हो पाएगा। बैंकिंग से जुड़े विभिन्न कानूनों में सूचना के प्रकटन से संबंधित कानूनी प्रतिबंध, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऋण संबंधी सूचनाएँ ऋण सूचना कंपनियों के साथ बाँटने के लिए मना करते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III-ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में निहित, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण सूचना संबंधी जानकारी इकट्ठी करने और प्रस्तुत करने की शक्तियों को इसके द्वारा किसी अन्य संस्था को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।

14. अतः कार्यदल ने पाया कि विभिन्न अधिनियमों में संशोधनों की जरूरत होगी। कार्यदल ने अक्तूबर 1999 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें कीं कि (ए) प्रस्तावित ब्यूरो द्वारा सूचनाएँ एकत्र करने तथा उन्हें बाँटने के कार्य को सुगम बनाने के लिए एक कानून बनाया जाए (बी) उपर्युक्त ब्यूरो के साथ सूचनाएँ बाँटने की अनुमति के लिए बैंकिंग से संबंधित कुछ अधिनियमों में संशोधन किया जाए। कार्यदल की सिफारिशों पर जनवरी 2001 में एच डी एफ सी तथा दो विदेशी प्रौद्योगिकी सहभागियों के तालमेल से भारतीय स्टेट बैंक ने सिबिल नाम की एक कंपनी प्रमोट की। कंपनी ने मुकदमा दायर किए खातों तथा उन लेन देनों, जिनके लिए कि उधारकर्ता ने प्रयोगकर्ता समूह के बीच आदान-प्रदान के लिए सहमति दी, की सूचनाओं की पूलिंग के द्वारा अपने परिचालन प्रारंभ किए। इस प्रकार ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 को ऋण सूचना कारोबार को आवश्यक विधिक सहायता प्रदान करने तथा ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन तथा ऋण के सक्षम वितरण को सुगम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है। ऋण सूचना कंपनी नियमावली, 2006 तथा ऋण सूचना कंपनी विनियमावली, 2006, जो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए उन्हें 14 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित किया गया और अधिनियम को लागू कर दिया गया।

² ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की संभावनाएँ खोजने से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट, अक्तूबर 1999.

³ लक्ष्यों और कारणों की स्टेटमेंट - ऋण सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005.

ऋण सूचना कंपनियाँ (विनियमन) अधिनियम, 2005

15. इस संबंध में अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ऋण सूचना कंपनियाँ वे कंपनियाँ हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनाई और पंजीकृत की गई है और जिन्हें रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि रिजर्व बैंक वर्तमान क्रेडिट सूचना कंपनियों के विस्तार की क्षमता और संभावनाओं तथा अन्य संबंधित तथ्यों को देखते हुए ऐसी ऋण सूचना कंपनियों की कुल संख्या का निर्धारण कर सकता है जिन्हें यह कारोबार चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 में ऐसे कारोबार के रूप बताए गए हैं जिन्हें ऋण सूचना कंपनी चला सकती है और यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई ऋण सूचना कंपनी इनके अलावा कोई और कारोबार नहीं कर सकेगी। अधिनियम की धारा 17 में कमोबेश यह निर्धारित किया गया है कि धारा के अंतर्गत किसी ऋण सूचना कंपनी द्वारा एकत्र की गई ऋण सूचना केवल उसके विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को ही प्रदान की जाएगी और यह भी कि ऋण सूचना कंपनी और इसके विनिर्दिष्ट उपयोग कर्ता, उनके द्वारा प्राप्त ऋण संबंधी सूचना को, अन्य किसी भी व्यक्ति को अथवा अनुमत प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए अथवा इस समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा अपेक्षित किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं करेंगे।

16. प्रकटन पर ये सांविधिक प्रतिबंध अवसर पूछे जाने वाले इस प्रश्न का उत्तर स्वयमेव देते हैं कि क्या यह अधिनियम, टूर्नियर बनाम नेशनल प्रोविन्शियल ऐण्ड यूनियन बैंक ऑफ इंग्लैण्ड [1923] ऑल ई आर 550 [1924]। के बी 461 में निर्धारित प्राइवेसी सिद्धांतों, जिनका भारत में भी अनुपालन किया जाता है, का उल्लंघन करता है। टूर्नियर प्रकरण में निर्धारित गोपनीयता के नियम के अपवादों में प्रकटन भी शामिल है। जहाँ जनता का यह कर्तव्य है कि वह प्रकटन करे और जहाँ बैंक हित चाहता है वहां प्रकटन किया जाए। चूंकि उधारकर्ताओं से संबंधित सूचना के प्रकटन से इन उधारकर्ताओं को ऋण देने के संबंध में सुविचारित निर्णय लेने में अन्य ऋण संस्थाओं को मदद मिलती है और प्रकट करने वाला बैंक भी ऐसे प्रकटन से लाभान्वित होता है क्योंकि एक बार जब अन्य ऋण संस्थाओं को उधारकर्ता के वर्तमान कर्ज के बारे में पता चल जाता है तो उधारकर्ताओं का उधार, सीमा से बाहर नहीं जाता। इसलिए ऋण संस्थाओं के सामने प्रकटन जनता का कर्तव्य हो जाता है और टूर्नियर सिद्धांतों के अंतर्गत, बैंक के हित में भी प्रकटन किया जाना चाहिए।

17. इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा दो तक्षणों के बीच एक संतुलन बनाया गया है - पहला वित्तीय प्रणाली के व्यापक हित में ऋण सूचना के आदान-प्रदान की एक सक्षम प्रणाली स्थापित करना तथा दूसरा इस जानकारी की गोपनीयता को बनाकर रखना। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम (ऋण सूचना कंपनियों द्वारा रखे गए आँकड़ों के जरिए) उधारकर्ताओं के बारे में एक प्रभावी और भरोसे योग्य सूचना प्रणाली प्रदान करने का एक साधन है तथा दूसरी ओर यह जहाँ तक अनुमत हो, ग्राहक की गोपनीयता को बनाकर रखता है और पहले बताए गए टूर्नियर प्रकरण में इंगित प्राइवेसी को भी कायम रखता है।

III चुनौतियाँ तथा आगे की राह

18. जोखिमधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह पाया गया है कि भारत की सीआईसी को आँकड़ों की सत्यता, समयपरकता तथा पूर्णता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऋण संस्थाओं को सीआईसी को ऋण सूचनाएँ भिजवाते समय आँकड़ों की गुणवत्ता, पूर्णता तथा समयनिष्ठा में सुधार लाने की काफी ज़रूरत है। उन्हें ऋण सूचना संबंधी आँकड़ों का प्रयोग और अधिक पूर्ण रीति से करने की ज़रूरत है। हमारे विचार से कंपनियों से संबंधित आँकड़े उतने प्रयोग में नहीं लाए जा रहे जितने कि खुदरा ऋणों के लिए लाए जा रहे हैं इसमें सुधार की ज़रूरत है।

19. अब मैं उस दिशा की ओर आता हूँ जिस पर कि भविष्य में चलने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम तो ऋण मनाही के प्रकरणों में ऋण संस्थाओं को अधिक पूर्व-सक्रिय होने की ज़रूरत है और हर हाल में यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उनके प्रस्तावित उधारकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार उनकी क्रेडिट रिपोर्टों की एक प्रति दी जाती है। वस्तुतः सूचना की गुणवत्ता और सत्यता बनाए रखने के लिए सार्वाधिक प्रभावी तंत्रों में से एक है - उन उधारकर्ताओं को अधिसूचित करना जिनके ऋण आवेदनों को नामंजूर किया जाता है। ऋण मनाही की यह सूचना ऋण सूचना, की सत्यता की ‘‘प्रति-जाँच’’ करने का, एक महत्वपूर्ण अस्त्र है और साथ ही इससे प्रस्तावित उधारकर्ताओं को यह सलाह भी मिलती है कि वे अपना अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाएँ और बना कर रखें।

20. एकत्रित और प्रसारित ऋण आँकड़ों की गुणवत्ता और स्कोप, प्रभावी ऋण रिपोर्टिंग पर्यावरण की नींव का पत्थर होता है। आँकड़ों के सही होने का अर्थ है कि आँकड़े त्रुटिरहित, सच्चे, पूर्ण और नवीनतम हैं। इस संबंध में अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि ऋण संस्थाएँ मासिक आधार पर अथवा सीआईसी के साथ परस्पर सहमति से और अधिक जल्दी ऋण सूचनाओं के उन्नयन को

सुनिश्चित करेंगी। गलत आँकड़ों से कई समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं जिसमें अन्यायोचित ऋण मनाही तथा अधिक उधार लागतें भी शामिल हैं। गुणवत्ता का अर्थ यह भी है कि आँकड़े काफी मात्रा में और पर्याप्त हों जिसका आशय यह है कि (i) विस्तृत और संगत सूचनाएँ ली जाती हैं; जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएँ शामिल हैं; (ii) विधि द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर अधिकतम संगत स्रोतों से सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं; (iii) जिस अवधि के संबंध में ऑब्जर्वेशन्स उपलब्ध हैं उस अवधि से संबंधित सूचनाएँ पर्याप्त हैं। विश्व बैंक ने ऋण रिपोर्टिंग संबंधी अपने सामान्य सिद्धांतों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी निर्धारित किया है कि क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणालियों में संगत सही नवीनतम तथा पर्याप्त आँकड़े होने चाहिए जिनमें सकारात्मक आँकड़े भी शामिल हैं। ये आँकड़े सभी विश्वसनीय उपयुक्त तथा उपलब्ध स्रोतों से, प्रणालीबद्ध आधार पर, एकत्र किए जाने चाहिए तथा इस सूचना को काफी पर्याप्त समय तक रखा जाना चाहए।

21. गलत आँकड़े मानवीय त्रुटि अथवा अन्य कारणों से हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आँकड़ा दाता (अर्थात् व्यक्ति और कारोबार, जिनके ऋण इतिहास तथा पहचान संबंधी आँकड़े इन प्रणालियों में स्टोर किए जाते हैं) द्वारा दिए गए गलत आँकड़े अथवा डाटा की इन्युटिंग के समय, अन्य स्रोतों अथवा मानवीय त्रुटि के कारण तैयार गलत आँकड़ों से, ऋण रिपोर्टिंग प्रणाली में, गलत आँकड़े प्रेषित हो जाएंगे जिससे रिपोर्टों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अपर्याप्त पहचान तंत्रों के द्वारा किसी एक आँकड़ादाता से संबंधित आँकड़े गलती से किसी दूसरे आँकड़ादाता के नाम से भी जा सकते हैं (जैसे कि नामों की सही मैचिंग न होना; व्यक्तियों और/अथवा कारोबारों के लिए पहचान कुंजियों का अभाव इन कुंजियों की अनन्य पहचान प्रदान करने की अक्षमता अथवा मजबूत मैचिंग तंत्र न होना)। यदि समुचित परिभाषाएँ, टूल्स तथा नियंत्रण लागू नहीं हैं तो इन प्रक्रियाओं के कार्य निष्पादन से गलतियाँ होंगी और जिसके परिणामस्वरूप आँकड़ादाता की बकाया देयताओं के अधिक अथवा कम अनुमान लगा लेने के कारण आँकड़ादाता के बारे में गलत अनुमान निकल सकते हैं।

22. इसलिए पूरी बैंकिंग प्रणाली में अनन्य ग्राहक पहचान (यूसीआई) परम आवश्यक हो जाता है। जहाँ कुछ भारतीय बैंकों ने अपने यहाँ अनन्य ग्राहक पहचान प्रक्रिया बना रखी है वहाँ समूची बैंकिंग प्रणाली में कोई अनन्य पहचान प्रक्रिया नहीं है जिसे आपस में बाँटा जा सके। इससे कर्जदारों को जोखिम प्रोफाइल दिशा निर्देशों को ज्ञांसा देने और बैंकों से मल्टीपल सुविधाएँ प्राप्त करने का मौका मिल

जाता है। यूसीआई को अंततः एक विधि निकाय पहचानक (एलईआई) बना होगा। एलईआई एकल कार्पोरेट निकाय से जुड़ी एक अनन्य आईडी होती है जो बहुवित्तीय मार्केट में निकाय की आसान पहचान में मदद देती है तथा निपटान गतिविधि और ऋणों को ट्रैक करने में सहायता देती है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड, वित्तीय लेन देनों की पार्टियों की पहचान के लिए एक वैश्विक प्रणाली बनाने हेतु वित्तीय विनियामकों और उद्योग द्वारा किए जा रहे कार्य में सहायता दे रहा है। जी-20 ने भी इस प्रयास के लिए अपनी सहायता व्यक्त की है। एलईआई समाधान का उपयोग फर्मों तथा विनियामकों, दोनों द्वारा बेहतर काउंटर पार्टी तथा प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन तथा साथ ही विनियामक रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए किया जाएगा। जहाँ तक व्यक्तियों का संबंध है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) द्वारा बनाई गई “आधार” प्रणाली, बायोमीट्रिक्स विशेषताओं के प्रयोग द्वारा डुप्लिकेट पहचान को कम/समाप्त करने का कार्य कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक व्यक्ति को एक से अधिक पहचान नहीं मिलेगी और साथ ही कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं बन सकेगा जो कि कागज आधारित दस्तावेजों से संभव हो जाता है। विशिष्ट पहचान के जरिए नई प्रणालियों के प्रभाव से सीआईसी की आँकड़ों की गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे संबंधित उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में भी कमी आएगी। इस सबसे अंततः विशेषकर गरीबों के बीच, ऋण के प्रभावी आबंटन में लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

23. दूसरे, यह सीआईसी का उत्तरदायित्व है कि वे ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा, पारदर्शी तरीके से और समय पर करें और एक प्रत्युत्तकारी जनशिकायत निवारण तंत्र बनाए। यदि सीआईसी अथवा ऋणदाता को आँकड़ों के संबंध में किसी गलती, त्रुटि या विषमता का पता स्वयं चलता है या उसे कोई बताता है तो सीआईसी अथवा ऋणदाता को अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार गलती को दूर करने के तत्काल उपाय करने हैं। इसके अतिरिक्त यदि कर्जदार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में दी गई जानकारी की विषय वस्तु अथवा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों जिसमें और समय लगने वाला है, के बारे में कोई विवाद उठाता है तो सीआईसी को ये आँकड़े किसी और को देने से पूर्व उस पर एक उपयुक्त टिप्पणी शामिल करनी होगी जिसमें कि गलती की प्रकृति के बारे में बताया गया होगा।

24. तीसरे, जैसा कि बहु पार्टियों के साथ व्यवहार करने वाले प्रौद्योगिकी-गहन संस्थाओं के साथ होता है, त्रुटियों और सूचनाओं तक अनधिकृत पहुँच, चाहे वे सीआईसी के भीतर से हो चाहे बाहर

से, के कारण होने वाला परिचालनात्मक जोखिम तथा उससे जुड़ा प्रतिष्ठा जोखिम भी एक आवश्यक मुद्दा है। सीआईसी कंपनियों को इन जोखिमों का भी प्रबंधन करना होगा।

25. चौथे, सीआईसी के जरिए सूचना आदान-प्रदान के माध्यम से वित्त तक और अधिक पहुँच बनाने से होने वाले लाभों के बारे में जनता को जागरूक बनाने के अभियान भी, सीआईसी को अवश्य चलाने चाहिए। सीआईसी के उपभोक्ताओं को इस बारे में भी शिक्षित किए जाने की ज़रूरत है कि ऋण सूचनाओं के आदान-प्रदान के क्या लाभ हैं, क्रेडिट तक पहुँच सुगम बनाने में क्रेडिट रिपोर्टों की क्या भूमिका है अथवा एक अधिक स्पर्धात्मक ऋण बाजार में उनका क्या योगदान हो सकता है।

26. आम जनता के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिए :

- (i) व्यक्तिगत सूचनाएँ शेयर करने के बारे में लोगों की चिंताओं को कम करने के लिए ऋण सूचना आदान-प्रदान की भूमिका तथा प्रकृति को स्पष्ट करना;
- (ii) सीआईसी के कार्यों तथा उपभोक्ता के आँकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसकी बाध्यताओं के बारे में बताना;
- (iii) उपभोक्ता के आँकड़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीआईसी क्या उपाय करेगी और वे रास्ते जिनसे गलतियाँ दूर हो सकें, उन पर चर्चा करना।

27. पाँचवां, चूंकि एक सफल ऋण आदान-प्रदान व्यवस्था का सिद्धांत परस्पर आदान-प्रदान पर आधारित होता है अतः ऋण संस्थाओं, जो कि सीआईसी को आँकड़ों की प्राथमिक प्रदाता होती हैं, के लिए आवश्यक है कि वे इन आँकड़ों का प्रयोग ऋण आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिए करें। बैंकों के अलावा, अधिनियम, जिसमें वित्तीय संस्थाएँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, आवास वित्त कंपनियाँ तथा क्रेडिट कार्डों के कारोबार में लगी कंपनियाँ अथवा किसी भी रूप में क्रेडिट का वितरण करने के कार्य में लगी संस्थाएँ भी शामिल हैं, में प्रावधान किया गया है कि इन ऋणदाताओं अथवा ऋण संस्थाओं को कम से कम एक सीआईसी का सदस्य होना जरूरी है। यह संभव है कि एक खास ऋणदाता जो केवल एक सीआईसी को ही आँकड़े देता है के उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना केवल उसी सीआईसी के पास उपलब्ध हो जिससे “इनफॉर्मेशन-साइलो” बन जाता है। भारत में किसी विशिष्ट उधारकर्ता से संबंधित ऋण जानकारी के निर्माण में आने वाले गैप को कम करने तथा ऋण सूचना रिपोर्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अधिनियम, एक सीआईसी को दूसरी का सदस्य बनने की

अनुमति देता है तथापि इस तंत्र ने वांछित विकास नहीं किया है जिसका कारण संभवतः सीआईसी कंपनियों के बीच स्पर्धा का होना है।

28. और अंत में किसी देश में ऋण सूचना प्रणाली कितने वर्ष से है वह उसकी वित्तीय परिपक्वता का परिचायक होती है। वित्तीय बुनियाद की गुणवत्ता, मध्यस्थता की सक्षमता तथा ऋणदाताओं की योग्यता कि वे ऋण बीमा तथा अन्य वित्तीय उत्पाद प्रतियोगी शर्तों पर लेने में उपभोक्ताओं के जोखिम का मूल्यांकन कर सके को निर्धारित करती है। क्रेडिट रिपोर्टिंग वित्त तक पहुँच को बढ़ाती है खास कर कम आय वाले उपभोक्ताओं तथा एमएसएमई के लिए तथा ऋण प्रोसेसिंग लागतों को कम करके तथा साथ ही ऋण आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को घटा कर बैंकों की स्पर्धात्मकता तथा क्षमता में सुधार लाने में एक मुख्य भूमिका निभाती है। अंतर्दृष्टीय ऋण सूचना की उपलब्धता से ऋण कम ब्याज दरों पर मिलता है, उच्चतर आर्थिक वृद्धि होती है और आय का कटा छंटा वितरण कम होता है। कवरेज बढ़ने के साथ ही समस्त ऋण आँकड़े अंततः शामिल हो जाएँगे जिससे कि सीआईसी कंपनियों की सूचनाएँ भविष्य में स्थलीय तथा स्थलेतर दोनों प्रकार के पर्यवेक्षणों में मदद देगी।

29. निष्कर्ष यह है कि सूचनाएँ वित्तीय लेनदेनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह एक ऐसा तेल है जो कि वित्तीय मशीनरी के पहियों को चलाता रहता है। सूचना में यदि कोई कर्मी रह जाती है तो ये पहिए रूप जाते हैं, जैसा कि वैश्विक संकट के दौरान देखने को मिला जहाँ कि काउंटर पार्टियों की ऋण साख संबंधी चिंताएँ बढ़ने से बाजार ही फ्रीज हो गए। ऋण मध्यस्थता में सूचना के महत्व पर बल देने की आवश्यकता ही नहीं है। संकट के पश्चात् हमारी आर्थिक बहाली की योजनाओं तथा वित्तीय समावेशन के हमारे प्रयास के आलोक में, जिसमें कि अधिकांश अनावेशित लोगों को वित्तीय परिधि में लाने की परिकल्पना की गई है, सूचना आदान-प्रदान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों को ऋण मिलता रहे और वह भी पर्याप्त मात्रा में और साथ ही अति कर्जग्रस्तता भी न हो। अति कर्जग्रस्तता से ऋण जोखिम बहुत बढ़ जाता है जिससे ऋण प्रवाह भी रुकने लगता है और गरीबों का कल्याण अवरुद्ध होता है। इस प्रकार एक मजबूत ऋण सूचना आदान-प्रदान ढाँचा, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक होता, है और हम सबको चाहिए कि हम इसे और मजबूत बनाएँ।

30. मुझे ध्यान से सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ और इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।

सन्दर्भ

बैरन जॉन एम तथा माइकल स्टेटन (2000), 'द वैल्यू ऑफ कॉम्प्रैहैन्सिव क्रेडिट रिपोर्ट्स, लेसन्ज फ्रॉम द यू.एस.एक्स पीरिएन्स' http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/value-of-comprehensive-credit-reports_1.pdf.

बर्नार्डौ एल्बर्टो, मार्को पेगानो तथा साल्वातोरे पिकोलो (2009) 'मल्टिपल बैंक लेन्डिंग, क्रेडिटर राइट्स एण्ड इन्फॉर्मेशन शेअरिंग' सेन्टर फॉर इकोनोमिक पॉलिसी रिसर्च, डिस्कशन पेपर सं.7186 फरवरी 2009.

ब्राउन मार्टिन एण्ड क्रिश्चिअन जेंडर (2005), 'क्रेडिट रेजिस्ट्रीज, रिलेशनशिप बैंकिंग एण्ड लोन रिपेमैन्ट' इन्स्टीट्यूट फॉर एम्प्रिकल रिसर्च इन इकोनोमिक्स, युनिवर्सिटी ऑफ जूरिख वर्किंग पेपर सं.240.

डॉब्लास मैड्रिड एन्टोनियो तथा टॉल मिनेती (2009), 'शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्रेडिट मार्केट : कॉन्ट्रैक्ट लेवल एविडेन्स फ्रॉम यू एस फर्म्स', सेशल साइंस रिसर्च नेटवर्क, मार्च 17.

जापेली, तूलिओ एण्ड पागानो, मार्को (1999); 'इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन क्रेडिट मार्केट्स; इंटरनेशनल एविडेन्स' आइडीबी वर्किंग पेपर सं.106, जून.

(1999) 'इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, लेन्डिंग एण्ड डिफाल्ट्स : क्रॉस कन्ट्री एविडेन्स' सीएसईएफ वर्किंग पेपर सं.22

जोसेफ ई स्टिगलिज (2001), 'इन्फॉर्मेशन एण्ड द चेंज इन द पैराडाइम इन इकोनोमिक्स' <http://www.nobel-prizes/economics/laureates/2001/stiglitz-lecture.pdf>

जोसेफ ई स्टिगलिज तथा एण्ड्रयू बीज (1981), 'क्रेडिट राशनिंग इन मार्केट्स विद इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, द अमेरिकन इकोनोमिक रिव्यू वा.71, सं.3, जून (पीपी 393-410).

माइकल ए टर्नर तथा रोबिन वर्गीज (2010), 'द इकोनोमिक कॉन्सिक्वेन्सेज ऑफ कन्ज्यूमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग : एफिशिएन्सी, इन्क्ल्यूजन एण्ड प्राइवेसी,' बैकग्राउंड पेपर # 2 फॉर द राउंडटेबल एट ओईसीडी कान्फ्रेन्स सेंटर, दिसम्बर 1.

ओईसीडी, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फाइनैन्स - क्रेडिट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पर डिस्कशन पेपर. <http://www.oecd.org/dataoecd/37/1/45370071.pdf>.

पाडिला ए जोर्ग तथा मार्कोपागानो (1999) सेंटर फॉर स्टडीज इन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनैन्स, "शेयरिंग डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ऐज ए बोरोअर डिसिप्लिन डिवाइस", वर्किंग पेपर सं.21, जुलाई.

रॉबर्ट एम हन्ट (नवम्बर 2002), फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फिया, 'द डेवलेपमेन्ट एण्ड रेग्युलेशन ऑफ कन्ज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग इन अमेरिका', वर्किंग पेपर सं.02-21, नवम्बर.

वर्ल्ड बैंक - आइएमएफ (2005), 'फाइनेन्शियल सेक्टर एसेसमेन्ट: ए हैण्डबुक', सितम्बर 29.